आई. टी. सी. लिमिटेड

बनाम

ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण

19 दिसंबर, 1997

[सुहास सी. सेन और एम. जगन्नाथ राव, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908-आदेश 7 नियम 11 - वाद पत्र का नामंजूर किया जाना - न्यायालय मुकदमे में किसी भी चरण में आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत वादपत्र को अस्वीकार करने का आदेश दे सकता है, यहां तक कि यदि मुकदमें में विवाद्यक विरचित भी किये जा चुके है और मामला साक्ष्य हेतु नियत किया गया है।

बैंकिंगः बैंक गारंटी और क्रेडिट पत्र विक्रेता को बैंक द्वारा भुगतान-बैंक द्वारा यह आरोप कि विक्रेता ने बैंक से धन लिया था। बैंक द्वारा आरोप कि विक्रेता ने खरीददार के माल की आवाजाही के बिना क्रेडिट पत्र के खिलाफ बैंक से पैसा निकाला और इसलिए धोखाधडी से कार्य किया। वसूली के लिए मुकदमा कार्यवाही का कारण आयोजित, माल की आपूर्ति न होने का विवाद, विक्रेता और खरीददार के बीच का मामला था। खरीदार और विक्रेता के खिलाफ बैंक द्वारा कार्यवाही किये जाने का कोई कारण नही दिया गया। इसके अलावा, बैंक के पास विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई

का एक स्वतंत्र कारण केवल तभी होगा जब विक्रेता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज विक्रेता की जानकारी के अनुसार जाली या धोखाधड़ी वाले हों-कार्रवाई के कारण का भ्रम पैदा करने वाले चालाक प्रारूपण की कानून में अनुमति नहीं है और वादी को मुकदमा करने का अधिकार होना वाद पत्र में अंकित है।

धोखाधड़ी-बैंक गारंटी या क्रेडिट पत्रों द्वारा कवर की गई राशि का भुगतान-विनिश्चय; बैंक को दो अपवादों के मामलों में बैंक गारंटी या ऋण पत्रों का सम्मान करना पड़ता है, जैसे, जहां धोखाधड़ी या अपूर्णनीय क्षति हुई थी-विक्रेताओं द्वारा खरीदारों को सामान की आपूर्ति न करने का आरोप अपने आप में, कानूनी रूप से, बैंकिंग कानून के तहत "धोखाधड़ी" की याचिका के बराबर नहीं था-कोई धोखाधड़ी या गलत प्रस्तुति नहीं क्योंकि यह मामला नहीं था। जाली या धोखाधड़ी वाले दस्तावेजों की प्रस्तुति का नही था।

उत्तरदाता 4 से 7 क्रेतागण ने अपीलार्थी कंपनी विक्रेता के पक्ष में ऋण पत्र जारी करने के लिए उत्तरदाता संख्या 3 को बैंक अपीलार्थी द्वारा निर्मित सिगरेट की आपूर्ति और कुछ अन्य सुविधाओं के लिए भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से संपर्क किया। बैंक ने ऋण सुविधा के पत्र को मंजूरी दी जिसका समय-समय पर नवीनीकरण किया जाता था। अपीलार्थी ने कई तिथियों पर विभिन्न राशियाँ निकालने का लाभ उठाया। खरीदार ने बैंक द्वारा किए गए भुगतान को ठीक करने से इनकार किया जो अपीलार्थी

को ऋण पत्र के तहत बैंक द्वारा पहले से ही भुगतान किया जा चुका था। बैंक ने खरीदारों से उक्त राशि की प्रतिपूर्ति की मांग की, जिसके लिए खरीदारों से ने यह जवाब देते हुए कि अपीलकर्ता विक्रेता बैंक से एल. सी. सुविधा के तहत कोई राशि निकालने का हकदार नही था क्योंकि अपीलकर्ताओं द्वारा माल की कोई आवाजाही नहीं थी।

बैंक ने 52,59, 639.66 रुपये की वसूली के लिए एक मुकदमा खरीदार और अपीलार्थी के विरूद्ध दायर किया। जो दीवानी न्यायालय से ऋण वसूली न्यायाधिकरण को अंतरित किए गए थे। अपीलार्थी ने आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत शिकायत को अस्वीकार करने के लिए एक आवेदन दायर किया, जहां तक अपीलार्थी का संबंध इस आधार पर था कि अपीलार्थी के खिलाफ कार्रवाई का कोई वैध कारण नहीं दिखाया गया था। उक्त आवेदन को न्यायाधिकरण द्वारा खारिज कर दिया गया था जिसके खिलाफ अपीलार्थी ने अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की थी जिसे फिर से खारिज कर दिया गया था। इसके बाद अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की जिसे खारिज कर दिया गया। इसके खिलाफ, अपीलार्थी ने एक रिट अपील दायर की जिसे भी खारिज कर दिया गया। पीड़ित, अपीलार्थी ने यह अपील दायर की।

अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया कि न्यायालय को मुकदमे के किसी भी स्तर पर आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत वाद को

नामंजूर करने का अधिकार प्राप्त है, भले ही विवाद्वक विरचित किए गए हों और मामले को साक्ष्य के लिए निर्धारित किया गया हो। यह भी तर्क दिया गया कि बैंक गारंटी या अपरिवर्तनीय ऋण पत्रों के तहत भुगतान के संबंध में, अपीलकर्ता विक्रेता और बैंक के बीच अनुबंध माल के संबंध में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच अनुबंध से बाध्य नही था।

विक्रेताओं द्वारा खरीदारों के साथ अपने अनुबंध में किसी भी कथित उल्लंघन के आधार पर भुगतान से इनकार करने का बैंक के पास कोई अधिकार नहीं था। प्रत्यर्थी बैंक की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलार्थी द्वारा गलत और धोखाधड़ी से संबंधित वादपत्र में दर्ज तथ्यों को देखते हुए, उक्त आरोपों को सही माना जाना चाहिए जब आदेश 7 नियम 11 के तहत अपीलार्थी के आवेदन पर विचार किया गया था।

यह न्यायालय अपील की अनुमति देते हुए अभिनिर्धारित किया

1. यह तथ्य कि वाद में विवाद्यक विरचित किए गए हैं, अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन पर विचार करने के रास्ते में नहीं आ सकता है। आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. तहत वाद को अस्वीकार करने की शक्ति। आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत विवाद्यक को विरचित करने के बाद भी वादपत्र नामंजूर किया जा सकता है, और जब मामला साक्ष्य के लिए रखा जाता है, [691-सी]

अजहर हुसैन बनाम राजीव गांधी, [1986] 1 पूरक. एस. सी. सी. 325 और समर सिंह बनाम केदार नाथ, [1987] पूरक। एस. सी. सी. 663, पर भरोसा किया।

2.1. जिन मामलों में विक्रेता ने माल नहीं भेजा है या जहां माल नहीं भेजा है, वहां बैंक के पक्ष में कार्रवाई का कोई कारण नहीं होगा।

अनुबंध की आवश्यकताओं के अनुरूप। यह सवाल कि क्या माल की आपूर्ति अपीलार्थी द्वारा की गई थी या नहीं, यह बैंक को तय नहीं करना है। बैंक, वर्तमान मामले में, केवल यह कहकर कि अपीलार्थी द्वारा माल की आपूर्ति नहीं की गई थी, अपवाद के तहत आने के उद्देश्यों के लिए "धोखाधड़ी या गलत व्याख्या" शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता था। माल की आपूर्ति न होने के बारे में विवाद विक्रेता और खरीदार के बीच का मामला था और इसमें विक्रेता के खिलाफ बैंक को कार्रवाई का कोई कारण नहीं दिया गया था। [693 - ए-बी]

यू. पी. को. ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड बनाम सिंह कंसल्टेंट्स एंड इंजीनियर्स, [1988] 1 एस. सी. सी. 174, पर भरोसा किया।

2.2. यदि विक्रेता द्वारा बैंक के समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेज जाली थे या विक्रेता की जानकारी में धोखाधड़ी थी, तो निश्चित रूप से बैंक के पास विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई का एक स्वतंत्र अधिकार होगा क्योंकि

यह विक्रेता का एक कार्य था जो बैंक को धन जारी करने के लिए प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार था। लेकिन, तत्काल मामले में, अपीलार्थी द्वारा कोई जाली दस्तावेज या धोखाधड़ी वाले दस्तावेज प्रस्तुत करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। [693-एफ]

यूनाइटेड कमर्शियल बैंक बनाम हनुमान सिंथेटिक्स लिमिटेड, ए. आई. आर. (1985) कैल. 96, पर भरोसा किया।

स्ज़्टेजन वी. जे. हेनरी श्रोडर बैंकिंग कॉर्पोरेशन, [1941] 31 एनवाईएस (2 डी) 631 और डिस्काउंट रिकॉर्ड्स लिमिटेड बनाम। बार्कलेज बैंक लिमिटेड, [1975] ऑल ई. आर. 1071, संदर्भित किया गया।

3.1. विक्रेताओं द्वारा माल की आपूर्ति न करने का आरोप खरीदार अपने आप में बैंकिंग कानून में समझे जाने वाले 'धोखाधड़ी' के अनुरोध को कानूनी रूप से नहीं मानते हैं और इसलिए केवल माल की कथित गैर-आवाजाही को 'धोखाधड़ी' के रूप में चिह्नित करके, बैंक यह दावा नहीं कर सकता है कि धोखाधड़ी या गलत निरूपण के आधार पर कार्रवाई का कोई कारण था। न ही वर्तमान मामला ऐसा है जिसमें जाली या धोखाधड़ी वाले दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का आरोप है। [694-एच; 695-ए]

3.2. विक्रेता द्वारा माल की गैर-आवाजाही विभिन्न प्रकार के कारण हो सकती है -समर्थनीय या असमर्थनीय कारण लेकिन यह अपने आप में

एक वादी को शिकायत में 'धोखाधड़ी' शब्द का उपयोग करने और किसी भी आपत्ति को दूर करने की अनुमति नहीं देता है जो हो सकता है आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत आवेदन दायर करने के माध्यम से उठाया जाना चाहिए। वाद में किसी शब्द को दोहराने या भ्रम पैदा करने की रस्म को अदालत द्वारा निश्चित रूप से उजागर किया जा सकता है और आदेश 7 नियम 11 (ए) के तहत आवेदन। जहां तक माल की आवाजाही के बिना धन की निकासी का केवल आरोप 'धोखाधड़ी' के आधार पर कार्रवाई का कारण नहीं है, बैंक शिकायत में उपयोग किए गए 'धोखाधड़ी' या 'गलत निरूपण' शब्दों के तहत शरण नहीं ले सकता है। यहां तक कि शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर भी अपीलार्थी के खिलाफ कार्रवाई का कोई कारण नहीं है। [697 - सी]

टी. अरिवंदम बनाम सत्यपाल और अन्य, [1977] 4 एस. सी. सी. 467, पर भरोसा किया।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 8864/1997.

कर्नाटक उच्च न्यायालय के डब्ल्यू. ए. सं. 2876/1997 के निर्णय और आदेश दिनांक 14.8.97 से।

सोली जे. सोराबजी, एस. गणेश, रविंदर नारायण, सुश्री पुनित्ता और सुश्री. एम/एस के लिए जूही।

अपीलार्थी के लिए जे. बी. डी. एंड कंपनी।

मेसर्स के लिए एम. जे. एस. रूपल, यू. ए. राणा, सुधांशु त्रिपाठी। फॉक्स मंडल & उत्तरदाताओं के लिए कंपनी और एस. एन. भट।

न्यायालय का निर्णय एम. जगन्नाथ राव, जे. द्वारा दिया गया था।

अनुमति मंजूर।

अपीलार्थी ने इस फैसले के खिलाफ इस अपील को प्राथमिकता दी है कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 1997 की रिट अपील संख्या 2876 में दिनांक 14.8.1997 दिया। विद्वान एकल 687 के फैसले के खिलाफ रिट अपील दायर की गई थी आई टी सी लिमिटेड वी. ऋण। रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल (एम. जगन्नाथ राव, जे.) न्यायाधीश दिनांक 9.4.1997 ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करते हुए आदेश 7 के नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत दायर अपीलार्थी के आवेदन को खारिज कर दिया।

अपीलकर्ता तीसरा प्रतिवादी, अर्थात कॉर्पोरेशन-बैंक, जिसका क्षेत्रीय कार्यालय बैंगलोर में है, द्वारा दायर मुकदमें में 5वां प्रतिवादी था। उक्त बैंक द्वारा आंध्र प्रदेश के गुंटूर और अपीलकर्ता आईटीसी लिमिटेड के खिलाफ वर्ष 1985 मे मुकदमा दायर किया गया था। मुकदमें में दावा की

गयी राहत रूपये की राशि के लिए थी। 52,59,639.66. उपर उल्लेखित प्रतिवादी 1 से 4 इस अपील में प्रतिवादी 4 से 7 है। पहला प्रतिवादी ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण है और दूसरा प्रतिवादी ऋण वसूली न्यायाधिकरण है। सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर होने के बाद इसे 09.10.1995 को ऋण वसूली न्यायाधिकरण में स्थानांतरित कर दिया गया। उक्त न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलार्थी ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत एक आवेदन दायर किया, जहां तक अपीलकर्ता का संबंध था, इस आधार पर वाद को खारिज करने के लिए कि अपीलकर्ता के खिलाफ कार्यवाही का कोई वैद्य कारण नही दिखाया गया था। उक्त आवेदन को ट्रिब्यूनल द्वारा 12.12.1996 को निम्नानुसार खारिज कर दिया गया थाः-

> ''आपत्तियां दायर की गयी। सुना गया। कार्यवाही का कारण तथ्य और काननू का एक मिश्रित प्रश्न है। इसलिए इस स्तर पर आईए 3 पर विचार नहीं किया जा सकता है। साक्ष्य के लिए नियत किया गया।

उक्त आदेश के खिलाफ, अपीलकर्ता ने अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की, जिसे उक्त न्यायाधिकरण ने 03.03.1997 को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वादपत्र और विशेष रूप से पैरा 12 में दिए गए कथनों के मद्देनजर, अपीलकर्ता के दायित्व के बारे में प्रश्न था।

परीक्षण में गुण-दोष के आधार पर पर निर्धारित किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि अपीलकर्ता ने स्वीकार किया था कि उसे रूपये विनिमय बिलों या साख पत्रों के तहत 32 लाख और यह प्रश्न कि क्या अपीलकर्ता को उक्त राशि प्राप्त करना उचित था या नही और क्या वादी-बैंक अपीलकर्ता से उक्त राशि वसूल करने का हकदार था-केवल परीक्षण में निर्धारित किया जाना था। तदन्सार अपील को तत्काल खारिज कर दिया गया।

अपीलकर्ता ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में रिट याचिका 8564/1997 दायर की, जिसे 09.04.1997 के एक आदेश द्वारा फिर से खारिज कर दिया गया, जिसमें कहा गया था कि प्रश्न का निर्णय मुकदमें में किया जाना है और यह नहीं कहा जा सकता है कि कार्यवाही का कोई कारण नही था। अपीलकर्ता के विरूद्ध वादपत्र में सभी का खुलासा किया गया है। उक्त फैसले के खिलाफ अपीलकर्ता ने रिट अपील 2876/1997 दायर की, जिसे 14.08.1997 को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत एक आवेदन के चरण में यह पता लगाने के लिए कि क्या वादी ने कार्यवाही के कारण का खुलासा नही किया है। कोर्ट को वादपत्र के अलावा किसी और चीज पर गौर नही करना चाहिए। इसके अलावा, मुद्दे तैयार होने और मामले को साक्ष्य के लिए पोस्ट किए जाने के बाद, सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत दायर आवेदन पर विचार करना वांछनीय नही था।

वादी में दिए गए मामले के तथ्यों का उल्लेख किया जाएगा। ताडिकोंडा परिवार से संबंधित पहले प्रतिवादी (बाद में खरीदार कहा जाएगा) ने अपीलकर्ता-कंपनी के पक्ष में रूपये की राशि के लिए क्रेडिट पत्र जारी करने के लिए दिसम्बर 1979 में वादी बैंक से संपर्क किया। अपीलकर्ता द्वारा निर्मित सिगरेट की आपूर्ति और कुछ अन्य सुविधाओं के लिए भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 32 लाख। वादी बैंक ने उक्त राशि के लिए एलसी सुविधा स्वीकृत की और एलसी खोलने पर सहमति व्यक्त की और अपीलकर्ता के पक्ष में रूपये के लिए क्रेडिट नंबर 1/1980 दिनांक 12.11980 का ''परिक्रामी पत्र'' जारी किया। अपीलकर्ता के मांग बिलों के मुकाबले 32 लाख रूपये उपलब्ध हैं, अपीलकर्ता द्वारा सिगरेट की आपूर्ति के लिए कथित माल के पूर्ण चालान मूल्य के लिए ''बिना सहारा के''। खरीदारों के अनुरोध पर समय-समय पर साख पत्र का नवीनीकरण किया गया और अंतिम नवीनीकरण 20.01.1983 से 20.01.1984 तक किया गया। इसके बाद खरीदार ने फिर से अपीलकर्ता-कंपनी के पक्ष में अतिरिक्त साख पत्र के लिए वादी-बैंक से संपक्र किया और यह अगस्त 1983 में हुआ और वादी बैंक अपीलकर्ता के पक्ष्श में एक अतिरिक्त साख पत्र खोलने के लिए सहमत हो गया और अप्रेल 1983 में ऐसा किया और अपीलकर्ता के पक्ष में रूपये के लिए क्रेडिट 1/883 का ''परिक्रामी पत्र'' जारी किया। अपीलकर्ता द्वारा निर्मित सिगरेट की आपूर्ति से संबंधित माल

के पूर्ण चालान मूल्य के लिए ''बिना सहारा के'' खरीदारों पर अपीलकर्ता के मांग बिल के मुकाबले 18 लाख रूपये उपरोक्त साख पत्रों के संबंध में खरीदारों ने पुष्टि किए गए अपरिवर्तनीय साख पत्र, अचल संपत्तियों से संबंधित सामान्य ग्रहणाधिकारण पत्र आदि जारी करने के लिए बैंक के पक्ष में आवश्यक ऋण दस्तावेज निष्पादित किए।

क्रेताओं द्वारा मांग वचन पत्र भी निष्पादित किए गए। वादी में कहा गया है कि अपीलकर्ता ने खरीदारों (प्रतिवादी सं. 1 से 4) को माल (सिगरेट) के प्रेषण के लिए कई तारीखों पर विभिन्न रकम निकालने का लाभ उठाया और इस प्रकार अपीलकर्ता ने निकाली गई रकम को विनियोजित किया। कथित तौर पर अपीलकर्ता द्वारा खरीददारों को भेजे गए माल के विरूद्ध। वादी के पैरा 6 में कहा गया है कि, ''5वें प्रतिवादी ने वादी को गलत बताया कि एलसी के तहत बातचीत के लिए प्रासंगिक मांग बिल पेश करते समय माल भेजा गया था और धोखाधडी से भुगतान प्राप्त किया गया था।'' एलसी के तहत बैंक द्वारा अपीलकर्ता को पहले ही भुगतान की गई राशि की सीमा तक बैंक द्वारा अपीलकर्ता को किए गए भुगतान को वापस करने से खरीदारों के इंकार का हवाला देने के बाद, वादी ने कहा कि वादी ने प्रतिपूर्ति की मांग की थी। खरीददारों द्वारा उक्त रकम की और खरीदारों ने वादी को सूचित किया कि वास्तव में, अपीलकर्ता द्वारा माल की कोई आवाजाही नही हुई थी और जब तक ऐसी कोई

हलचल नही होती, अपीलकर्ता एलसी सुविधा के तहत किसी भी राशि को निकालने का हकदार नही था। वादी से - बैंक वादपत्र के पैरा 8 में कहा गया था कि खरीदारांे ने पत्र दिनांक 23.01.1984 द्वारा कहा था कि अपीलकर्ता ने 01.09.1983 को सिगरेट के स्टॉक के वास्तविक संचलन के समर्थन के बिना 18 लाख की राशि के बिल निकाले थे। पैरा 8 में कहा गया है कि बैंक को अब एहसास हुआ है कि अपीलकर्ता ने खरीदार तक माल पहुंचाए बिना बैक से पैसे निकाले थे और इसलिए धोखाधडी की थी। वादपत्र में पैरा 9 में कहा गया है कि अपीलकर्ता ने विश्वास का उल्लंघन किया है और साख पत्र की शर्तो के विपरीत कार्य किया है और वादी ने सभी पक्षों को पंजीकृत नोटिस जारी किए है। अपीलकर्ता ने अपने उत्तर दिनांक 18.04.1984 में कहा कि उसे भुगतान केवल की गई आपूर्ति के लिए और निश्चित रूप से देय धन के लिए प्राप्त हुआ था। बैंक के अनुसर इसका तात्पर्य यह है कि माल साख पत्र की शर्तो के तहत नही भेजा गया था। वादी के कहा कि अपीलकर्ता ने एलसी सुविधाओं में परिकल्पित की तुलना में विभिन्न लेन-देन के तहत अपीलकर्ता के प्रति खरीदारों द्वारा किए गए कुछ अन्य देनदारियों को समायोजित करने के लिए एलसी सुविधाओं की आड में बैंक से धन का विनियोजन किया था। वादी में खरीदारों के दिनांक 13.04.1984 के उत्तर के पैरा 10 में इस आशय का उल्लेख किया गया है कि बिल अपीलकर्ता द्वारा निकाले गए थे

और धन खरीदारों के व्यापार शेष बकाया के लिए विनियोजित किया गया था। वादी ने तब कहा कि अपीलकर्ता और खरीदार दोनों ने साख पत्र की शर्तों के विपरीत काम किया और माल के प्रेषण के तथ्य को गलत तरीकों से प्रस्तुत करते हुए अपीलकर्ता द्वारा गलत तरीके से धन निकाला गया और राशि को खरीदार की अन्य देनदारियों के लिए विनियोजित किया गया। अपीलकर्ता, खरीददारों और अपीलकर्ता दोनांे को इन अवैद्य आहरणों का लाभ हुआ और इसलिए दोनों वादी को ब्याज सहित प्रतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी थे। वादपत्र के पैरा 12 में यह इस प्रकार कहा गया थाः-

> ''पांचवे प्रतिवादी ने साख पत्र की शर्तो के विपरीत राशि निकाली है। वादी द्वारा पांचवे प्रतिवादी को भुगतान इस गलत धारणा के कारण था कि पांचवे प्रतिवादी ने सिगरेट भेजी थी जो पांचवे प्रतिवादी को इसके तहत भुगतान का हकदार बनाती है। साख पत्र। वादी को गलती का पता चला जब उसे पहले प्रतिवादी का पत्र दिनांक 23.1.1984 तथा प्रतिवादी 1 और 5 के क्रमशः 13.04.1984 और 18.04.1984 का उत्तर प्राप्त हुआ। 5वें प्रतिवादी को भुगतान किया जा रहा है/जैसा कि उपर कहा गया है, गलती के कारण, वादी 5वें प्रतिवादी द्वारा उक्त राशि का भुगतान

पाने का हकदार होगा। 5वें प्रतिवादी ने कई भुगतानों से खुद को अन्यायपूर्ण तरीके से समृद्ध किया है।''

वादपत्र के पैरा 14 में फिर से यह आरोप है कि अपीलकर्ता गलत प्रतिनिधित्व का दोषी था कि प्रश्न में माल भेजा गया था जबकि वास्तव में 5वें प्रतिवादी को खरीदारों के खिलाफ अन्य दावों के लिए भुगतान प्राप्त हुआ था।

जैसा कि पहले ही कहा गया है, ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय ने, वाद पत्र में उपरोक्त कथनों पर, वादपत्र को अस्वीकार करने से इन्कार कर दिया।

अपीलकर्ता-कंपनी के विद्वान वकील श्री सोली जे. सोराबजी ने तर्क दिया कि अदालत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत मुकदमे के किसी भी चरण में वाद को खारिज करने का हकदार है, भले ही मुद्दे तैयार किए गए हो और भले ही मामला साक्ष्य के लिए पोस्ट किया गया हो। विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि यह अच्छी तरह से तय है कि बैंक गारंटी या अपरिवर्तनीय साख पत्र के तहत भुगतान के संबंध में, विक्रेताओं /अपीलकर्ता/ और बैंक के बीच अनुबंध माल के संबंध में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच अनुबंध से स्वतंत्र था और कि बैंक के पास विक्रेताओं द्वारा खरीदारों के साथ अनुबंध के किसी भी कथित उल्लंघन के आधार

पर भुगतान से इंकार करने का कोई अधिकार नही था। न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त एकमात्र अपवाद धोखाधडी या अपूरणीय चोट के मामले थे। उन अपवादों के मामलें में, बैंक द्वारा विक्रेताओं को पैसे का भुगतान करने से पहले खरीदार बैंक के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग कर सकते है। खरीददारों द्वारा ऐसी कोई निषेधाज्ञा नही मांगी गई थी। इसके अलावा, न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त जालसाजी या धोखाधडी और गलत बयानी से संबंधित अपवाद बैंक को सौंपे गए दस्तावेजों की जालसाजी या धोखाधडीपूर्ण प्रस्तुति से संबंधित है। मौजूदा मामला उक्त अपवादों के दायरे में नही आता है और इसलिए, अपीलकर्ता के खिलाफ कार्यवाही का कोई कारण नही बनता है। विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि केवल इसलिए कि वादी में धोखाधडी या गलत बयानी शब्द का इस्तेमाल किया गया था। बैंक यह दावा नही कर सकता कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रयोजनों के लिए उक्त आरोपों को सच माना जाना चाहिए।

दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वकील-बैंक ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता द्वारा गलत बयानी और धोखाधडी से संबंधित वाद में दिए गए कथनों को ध्यान में रखते हुए, आदेश 7 नियम 11 के तहत अपीलकर्ता के आवेदन पर उक्त आरोपों को सत्य माना जाना चाहिए। विचार के लिए लिया गया था और अदालत को यह तय करने के उद्देश्य से किसी अन्य

सामग्री का उल्लेख करने की अनुमति नही थी कि क्या यह अपीलकर्ता के खिलाफ कार्यवाही का कोई कारण है।

यहां पहला बिंदू यह है कि क्या सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद को खारिज करने की शक्ति का प्रयोग मुद्दो के तैयार होने के बाद भी किया जा सकता है, और जब मामला साक्ष्य के लिए पोस्ट किया जाता है। यह बात इसलिए उठी है क्योंकि हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपील खारिज करते हुए इस पहलू का जिक्र किया है कि हम कह सकते है कि सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के संदर्भ में, यह तर्क कि एक बार मुद्दे तय हो जाने के बाद, मामले की सुनवाई अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, को इस न्यायालय ने अजहर हुसैन बनाम राजीव गांधी [1986(सप्लीमेंट) मामलें मे स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। एससीसी 315](पृ. 324) इस प्रकार हैः

> ''वास्तव में, तर्क यह है कि अदालत को मुकदमें के साथ आगे बढना चाहिए, साक्ष्य दर्ज करना चाहिए, और मुकदमें के बाद ही... निष्कर्ष निकाला जाता है कि दोषपूर्ण याचिका से निपटने के लिए नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत शक्तियां जो खुलासा नही करती है कार्यवाही के कारण का प्रयोग किया जाना चाहिए। विद्वान वकील के संबंध में, यह एक ऐसा तर्क है जिसे समझना मुश्किल है। ऐसी शक्तियों

को प्रदान करने का पूरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई मुकदमा जो अर्थहीन है और निष्फल साबित होने के लिए के बाध्य है, वह नही होना चाहिए न्यायालय का समय लेने की अनुमति दी गयी''

उपरोक्त निर्णय, जो एक चुनाव याचिका से संबंधित है, स्पष्ट रूप से मुकदमों पर भी लागू होता है और *समर सिंग बनाम केदारनाथ* [1987 (सप्लीमेंट) एससीसी 663] में इसका पालन किया गया था। इसलिए हम मानते हैं कि यह तथ्य कि मुकदमें में मुद्दे तय किए गए है, आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर इस आवेदन पर विचार करने के रास्ते में नही आ सकते हैं।

हम आगे इस सवाल से निपटेंगे कि क्या वादपत्र में लगाए गए आरोप बैंक द्वारा अपरिवर्तनीय साख पत्र के तहत पहले ही भुगतान की गई राशि की वसूली के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ कार्यवाही का कारण साबित होते हैं।

बैंक गारंटी याअपरिवर्तनीय ऋण पत्र द्वारा कवर की गई राशि के भुगतान के संबंध में सिद्धान्त काफी अच्छी तरह से तय किए गए है। इन पर कई मामलों में विस्तार पर चर्चा की गई है और यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड बनाम सिंग कंसल्टेंट्स एंड इंजीनियर्स [1988 (1)

एससीसी 174] मामलें में सिद्धान्तों की विस्तृत चर्चा हुई है। हमारे समक्ष विद्वान वकील द्वारा यूनाइटेड कमर्शियल बैंक सीएस में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले का भी संदर्भ दिया गया था। हयुमन सिंथेटिक्स लिमिटेड [एआइआर 1985 कैल. 961] (हममें से सुहास सी0 से. जे. किस पक्ष में थे) यह ध्यान दिया जाएगा कि उपरोक्त मामलों में यह कहा गया है कि बैंक को दो अपवादों के मामले में बैंक गारंटी या क्रेडिट पत्र का सम्मान करना होगा जहां धोखाधडी या अपूर्णनीय क्षति हुई हो। वर्तमान मामले में बैंक का तर्क अपीलकर्ता द्वारा धोखाधडी या गलत बयानी पर आधारित है। इसे ही वादपत्र में कार्यवाही का कारण बताया गया है।

प्रश्न यह है कि क्या वादी में कार्यवाही का वास्तविक कारण निर्धारित किया गया है या आदेश 7 नियम 11 सीपीसी से बाहर निकलने के लिए दृष्टि से कुछ पूरी तरह से भ्रामक कहा गया है, कार्यवाही के कारण का भ्रम पैरा करने वाले चतुर प्रारूपण की कानून में अनुमति नही है और स्पष्ट है मुकदमा करने का अधिकार वादपत्र में दर्शाया जाना चाहिए। *टी. अरविंदंदम बनाम टीवी सत्यपाल और अन्य* [1977] (4) एससीसी 467]

अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि यह सवाल कि माल की आपूर्ति अपीलकर्ता द्वारा की गई थी या नही, बैंक का नही हैं। यह बात उपर उल्लेखित यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन मामलें में इस न्यायालय के

फैसले से पहले ही तय हो चुकी है। उस मामले में इसे (पृ. 193 पर) जगन्नाथ शेट्टी, जे. द्वारा इस प्रकार कहा गया थाः

> ''अगर दस्तावेज सही हैं और क्रेडिट की शर्ते पूरी होती है तो बैंक को भुगतान करना होगा। हालांकि, बैंक को यह निर्धारित करने की अनुमति नही थी कि विक्रेता ने वास्तव में माल भेजा था या क्या माल अनुबंध की आवश्यकताओं के अनुरूप है। कोई भी खरीदार और विक्रेता के बीच विवाद को आपस में ही सुलझाया जाना चाहिए। हालांकि, अदालतों ने पूर्ण स्वतंत्रता के इस नियम को एक अपवाद बना दिया। अदालतों ने माना कि यदि ''लेन-देन में धोखाधडी'' हुई है तो बैंक लाभार्थी की मांग का अपमान कर सकता है भुगतान। अदालतों ने आम तौर पर केवल लाभार्थी की धोखाधडी पर अनादर की अनुमति दी है, किसी और की धोखाधडी पर नहीं।''

उपरोक्त परिच्छेद में रेखांकित भाग से यह देखा जाएगा कि ऐसे मामलों में बैंक के पक्ष में कार्यवाही का कोई कारण नही होगा जहां विक्रेता ने माल भेजा है या जहां माल अनुबंध की आवश्यकताओं के अनुरूप नही है। बैंक, हमारे सामने मौजूद मामलें मे, केवल यह कहकर कि अपीलकर्ता द्वारा माल की आपूर्ति नही की गई थी, अपवाद के अंतर्गत आने के

प्रयोजनों के लिए ''धोखाधडी या गलत बयानी'' शब्दों का उपयोग नही कर सकता था। माल की आपूर्ति न होने का विवाद विक्रेता और खरीदार के बीच का मामला था और जैसा कि उपरोक्त निर्णय में कहा गया है यह विक्रेता के खिलाफ बैंक के लिए कार्यवाही का कोई कारण प्रदान नही कर सकता है।

प्रतिवादी के विद्वान वकील ने तब बैंक रूसो-ईरान बनाम गार्डन वुड्ोफ एंड कंपनी लिमिटेड [1972 द टाइम्स, 4 अक्टूबर] पर भरोसा किया ((1972) 116 सोल जो 921 में रिपोर्ट किया गया] जहां ब्राउन, एसजे ने इस प्रकार कहाः

> ''मेरे फैसले में, यदि दस्तावेज स्वयं लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए है, और जाली या धोखाधडी वाले हैं, तो बैंक भुगतान से पहले पता चलने पर भुगतान से इंकार करने का हकदार है, और तथ्य की गलती के तहत भुगतान किए गए पैसे की वसूली करने का हकदार है यदि भुगतान के बाद इसका पता चलता है''

उपरोक्त अनुच्छेद को एडवर्ड ओवेन बनाम बार्कलेज बैंक इंटरनेशनल {1978 (1) ऑल ईआर 976 (सीए) (982 पर)] में लॉर्ड डेनिंग एमआर द्वारा अनुमोदन के साथ उद्धत किया गया था।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ब्राउन, एलजे के फैसले से उपरोक्त अंश 'जाली' या 'धोखाधडी' दस्तावेजों की बात करता है। यदि विक्रेता द्वारा बैंक के समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेज जाली थे या विक्रेता की जानकारी में धोखाधडी वाले थे, तो निश्चित रूप से बैंक के पास विक्रेता के खिलाफ कार्यवाही का एक स्वतंत्र कारण होगा क्योंकि यह विक्रेता का एक कार्य था जो बैंक को प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार था। धनराशि जारी करने के लिए. लेकिन यहां हमारे सामने मौजूद मामले में, अपीलकर्ता द्वारा कोई जाली दस्तावेज या धोखाधडी वाले दस्तावेज प्रस्तुत करने का कोई सवाल ही नही है।

हम, धोखाधडी वाले दस्तावेजों से संबंधित इस पहलू को स्पष्ट कर सकते हैं- यूसीएम /निवेश/ बनाम रॉयल बैंक ऑफ कनाडा के प्रसिद्ध मामले का हवाला देकर /1982 2 सभी ईआर 720 एचएल/ हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा निर्णय लिया गया जो इस न्यायालय द्वारा यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन मामलें /सुप्रा/में संदर्भित किया गया है। उस मामलें में 15 दिसंबर, 1976 की तारीख को गलत तरीके से और धोखाधडी से लोडिंग के बिल पर उस तारीख के रूप में दर्ज किया गया था जिस दिन माल भेजा गया था, जबकि माल वास्तव में 16 दिसंबर, 1976 को भेजा गया था और बैंक को इस तथ्य के बारें में पता चला। भुगतान करने से इंकार कर दिया, हाउस ऑफ लॉर्डस ने माना कि बैंक उचित रूप से भुगतान करने से इंकार कर

सकता था क्योंकि लोडिंग बिल, जो बैंक के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों में से एक था, एक धोखाधडी वाला दस्तावेज था। जैसा कि उपर कहा गया है, सिद्धान्त निर्धारित करने के बाद, हाउस ऑफ हॉडर््स ने हालांकि तथ्यों पर सहमति व्यक्त की कि लोडिंग के बिल पर उक्त गलत बयान विक्रेता द्वारा नही दिया गया था, बल्कि शिपिंग एजेंट द्वारा किया गया था और चूंकि विक्रेता जिम्मेदार नही थे, इसलिए बैंक भुगतान से इंकार नही कर सका, हम इस मामले का उल्लेख केवल यह बताने के लिए कर रहे है कि विक्रेताओं द्वारा बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया गया ''धोखाधडी वाला दस्तावेज'' क्या हो सकता है। हम थोडी देर बाद स्जटेजन बनाम एच.हेनरी श्रीडर बैंकिंग कॉरपोरेशन [1941 (31) एनवाईएस (2 डी) 631] के एक अन्य मामले का भी उल्लेख करते है जो ''धोखाधडी वाले दस्तावेजों'' की प्रस्तुति का मामला भी है।

इसी तरह एस्टाब्लिसमेंट एसेफ्का इंटरनेशनल एंस्टाल्ट बनाम सेन्ट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया [1979 (1) लॉयड्स लॉ रिपोर्ट्स 445 सीए] में 'सीमेंट स्कैंडल केस' में, लॉर्ड डेनिंग ने बताया कि शिपिंग दस्तावेज, लोडिंग के बिल, प्रमाण पत्र आदि। क्या वे जाली थे और सभी 'चांदनी' थे और वहां ऐसे कोई शिपिंग जहाज थे ही नही। वह मामला जाली दस्तावेजों का उदाहरण है।

बैंक के लिए भुगतान से इंकार करना स्पष्ट 'धोखाधडी' का मामला है और बैंक को इस तरह की धोखाधडी के बारे मे जानकारी है। (बोलिविंटर ऑयल एसए बनाम चेय मैनहट्टन बैंक एनए) [1984 (1) (1) एलएलआर 392]। जैसा कि एडवर्ड ओवेन में लॉर्ड डेनिंग और लॉर्ड लेन ने बताया था, बैंक केवल इसलिए भुगतान से इंकार नही कर सकता क्योंकि उसके अनुसार दावा ''बेईमान'' या ''संदिग्ध'' था या यह एक गंभीर प्रथा प्रतीत होती थी लेकिन इसे 'धोखाधडी' के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। यूनाइटेड ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन एसए और मरे क्लेटन लिमिटेड बनाम एलाइड अरब बैंक लिमिटेड और अन्य [1985 (2) एलएलआर 554 (सीए)] में लॉर्ड एकनर ने कहा कि बैंक भुगतान पर आपत्ति कर सकता है क्योंकि मांग 'ईमानदारी से' नही की गयी थी। लेकिन फर्जी तरीके से बनाया गया था। तुर्किये बनाम बैंक ऑफ चाइना [1996 (2) एलएलआर 611 (617-618)] में वालर.जे. ने कहा कि सवाल यह है कि क्या भुगतान की मांग ''कपटपूर्ण'' थी। अनुबंध के उल्लंघन, अग्रिम भुगतान न करने या मशीनरी की आपूर्ति न करने जैसे पक्षों के बच केवल आरोप प्रत्यारोप धोखाधडी की श्रेणी में नही आते।

परिणामस्वरूप, हम यह मानते हैं कि विक्रेताओं द्वारा खरीददारों को माल की आपूर्ति न करने का आरोप, कानून में, अपने आप में 'धोखाधडी' की दलील नही हैं, जैसा कि कानून की इस शाखा में समझा जाता है और

इसलिए केवल कथित रूप से चित्रित किया जाता है। माल की गैर-परिवहन को 'धोखाधडी' के रूप में मानने पर, बैंक यह दावा नही कर सकता कि धोखाधडी या गलत बयानी के आधार पर कार्यवाही का कोई कारण था। न ही हमारे सामने ऐसा मामला है जहां आप पर जाली या धोखाधडी वाले दस्तावेज पेश करने का आरोप है।

प्रतिवादी के विद्वान वकील ने डिस्काउंट रिकार्डस लिमिटेड बनाम बार्कलेज बैंक लिमिटेड [1975 (1) सभी ईआर 1071] मामले के फैसले पर भरोसा किया। उस मामले में, मेगारी, जे. ने न्यूयार्क कोर्ट ऑफ अपील्स द्वारा तय किये गए स्जेटेजन बनाम जे.हेनरी श्रोडर बैंकिंग कॉर्पोरेशन [1941 (31) एनवाईएस (2 डी) 631] में अमेरिकी मामलें का हवाला दिया। उस मामलें में शिएनटैग, जे. ने माल की आपूर्ति में जानबूझकर विफलता के मामलों से गुणवत्ता के संबंध में वारंटी के उल्लंघन के मामलों को अलग किया और कहा:

> ''ऐसी स्थिति में, जहां भुगतान के लिए ड्राफ्ट और दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने से पहले विक्रेता की धोखाधडी को बैंक के ध्यान में लाया गया है, ऋण पत्र के तहत बैंक के दायित्व की स्वतंत्रता के सिद्धान्त को बेईमान की रक्षा के लिए विस्तारित नही किया जाना चाहिए विक्रेता''

मेगारी, जे. फिर अमेरिकी मामले को इस आधार पर अलग कर दिया कि

> ''यह ध्यान देना महत्वपूर्ण था कि स्जेटेन मामले मे, कार्यवाही में औपचरिक शिकायत को इस आधार पर खारिज करने का प्रस्ताव शामिल था कि इसमें कार्यवाही का कोई कारण नही बताया गया था। ऐसा होने पर, न्यायालय ने कहा था कि यह मान लेना कि शिकायत में बताए गए तथ्य सत्य थे''।

''धोखाधडी'', बैंक यह दावा नही कर सकता कि धोखाधडी या गलत बयानी के आधार पर कार्यवाही की गई थी। न ही हमारे सामने ऐसा मामला है जहां जाली या धोखाधडी वाले दस्तावेज पेश करने करने का आरोप है।

प्रतिवादी के विद्वान वकील ने डिस्काउंट रिकार्डस लिमिटेड बनाम बार्कलेज बैंक लिमिटेड [1975 (1) सभी ईआर 1071] मामले के फैसले पर भरोसा किया। उस मामले में, मेगारी, जे. ने न्यूयार्क कोर्ट ऑफ अपील्स द्वारा तय किये गए स्जेटेजन बनाम जे.हेनरी श्रोडर बैंकिंग कॉर्पोरेशन [1941 (31) एनवाईएस (2 डी) 631] में अमेरिकी मामलें का हवाला दिया। उस मामलें में शिएनटैग, जे. ने माल की आपूर्ति में जानबूझकर विफलता के मामलों से गुणवत्ता के संबंध में वारंटी के उल्लंघन के मामलों और कहा:

''ऐसी स्थिति में, जहां ड्राफ्ट और दस्तावेजो को भुगतान के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले विक्रेता की धोखाधडी को बैंक के ध्यान में लाया गया है, ऋण पत्र के तहत बैंक के दायित्व की स्वतंत्रता के सिद्धान्त को बेईमान की रक्षा के लिए विस्तारित नही किया जाना चाहिए विक्रेता''

मेगारी, जे. फिर अमेरिकी मामले को इस आधार पर अलग कर दिया कि

''यह ध्यान देना महत्वपूर्ण था कि स्जेटेन मामले मे, कार्यवाही में औपचरिक शिकायत को इस आधार पर खारिज करने का प्रस्ताव शामिल था कि इसमें कार्यवाही का कोई कारण नही बताया गया था। ऐसा होने पर, न्यायालय ने कहा था कि यह मान लेना कि शिकायत में बताए गए तथ्य सत्य थे''।

प्रतिवादी बैंक के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि हमारे समक्ष मामला जो आदेश 7 नियम 11 ए सीसीपी के तहत एक आवेदन से संबंधित है, जिसमें ''वादी के पढने से कार्यवाही के कारण की अनुपस्थिति'' के आधार पर एक वाद को खारिज कर दिया गया था, वह समान था। स्जटेजन मामले के साथ और इसलिए मेगारी जे. ने जो कहा वह सीधे डिस्काउंट रिकॉर्डस लिमिटेड पर लागू होता है।

यह सच है, हम इस सवाल से भी निपट रहे है कि क्या वादी ने कार्यवाही के कारण खुलासा किया है। लेकिन यहां वादपत्र में आरोप केवल विक्रेता द्वारा माल की आवाजाही की अनुपस्थिति से संबंधित है। जैसा कि निर्णय किए गए मामलों में और विशेष रूप से यूपी सहकारी संघ मामलें में और इस न्यायालय और अन्य न्यायालयों द्वारा तय किए गए अन्य मामलों में बताया गया है, कानून की इस शाखा में केवल आंदोलन की अनुपस्थिति को कभी भी धोखाधडी के समान नही माना गया है, ऐसे गैर-आंदोलन, घटना यदि आरोप को सच माना जाना है, तो यह सामान के कारणों से या ऐसे कारणों से हो सकता है जो अच्छे नही थे। लेकिन वह ''धोखाधडी'' नही है, स्जटेजन में एजी डेविस द्वारा वाणिज्यिक ऋण से संबंधित कानून देखें (दूसरा संस्करण 1954) (इस मामलें के तथ्यों के लिए पृष्ठ 160-61) स्थिति अलग थी। वहां शिकायत यह थी कि जिन विक्रेताओं को शिकायत भेजनी थी, वे विक्रेता थे जो 'ब्रिसल्स' भेजने के लिए जानबूझकर स्टीमशिप पर सामग्री के 50 मामले रखे गए, एक स्टीमशिप कंपनी से लोडिंग का बिल प्राप्त किया और प्रथागत चालान प्राप्त किए। दस्तावेजों में सामान को साख पत्र के अनुसार ब्रिसल्स के रूप में वर्णित किया गया था। वास्तव में, भारतीय विक्रेताओं ने वास्तविक माल की नकल करने के इरादे से 50 बक्सों को 'काउहेयर' और अन्य बेकार सामग्री और कचरे से भर दिया था और इस तरह वादी, खरीदारों को

'धोखा' दिया- जिन्होनें प्रतिवादियों को क्रेडिट पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। विक्रेताओं ने फिर एक पत्र निकाला भारत, आस्ट्रेलिया और चीन के चार्टर्ड बैंक के आदेश पर क्रेडिट पत्र के तहत ड्राफ्ट और विक्रेताओं के खाते में वसूली के लिए ड्राफ्ट और ''धोखाधडी वाले दस्तावेजों'' को कानपुर में चार्टर्ड बैंक को सौप दिया गया। खरीदार ने कार्यवाही की जो सफल रही। प्रतवादियों को ड्राफ्ट का भुगतान करने से रोकना। विद्वान न्यायाधीश ने कहा (पृष्ठ 634).

> ''यह माना जाना चाहिए कि विक्रेता जानबूझकर खरीदार द्वारा आर्डर किए गए किसी भी सामान को भेजने में विफल रहा है। ऐसी स्थिति में, जहां ड्राफ्ट और दस्तावेजों को भुगतान के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले विक्रेता की धोखाधडी को बैंक के ध्यान में लाया गया है, का सिद्धान्त बेईमान विक्रेता की सुरक्षा के लिए ऋण पत्र के तहत बैंक के दायित्व की स्वतंत्रता का विस्तार नही किया जाना चाहिए। यह सच है कि भले ही दस्तावेज जाली या धोखाधडी वाले हो, यदि जारीकर्ता बैंक ने विक्रेता की धोखाधडी की सूचना प्राप्त करने से पहले से ही ड्राफ्ट का भुगतान कर दिया है, यदि उसने ऐसा भुगतान करने से पहले उचित परिश्रम किया तो उसे संरक्षित किया जाएगा।

हालांकि, तत्काल कार्यवाही में श्रोडर को ड्राफ्ट स्वीकार करने या भुगतान करने से पहले ट्रांसिया की सक्रिय धोखाधडी की सूचना मिल गई थी। चार्टर्ड बैंक, जो ट्रांसिया से बेहतर स्थिति में नही है, शिकायत करने के लिए नही सुना जाना चाहिए क्योंकि श्रोडर को लेनदेन को केवर करने वाले दस्तावेजों के साथ ड्राफ्ट का भुगतान करने के लिए मजबूर नही किया जाता है, जिसके पास यह मानने का यह कारण है कि वह धोखाधडी है''

यह ध्यान दिया जाएगा कि स्जटेजन एक ऐसा मामला था जहां ''धोखाधडी वाले दस्तावेज'' प्रस्तुत किए गए थे जो माल की शिपिंग का अनुकरण करते थे न केवल भेजे गए थे बल्कि दूसरी ओर विक्रेता ने जानबूझकर कुछ बकवास भेज दिया था। इसलिए उस मामलें में खरीदारों द्वारा की गयी शिकायत में आरोप उपरोक्त तथ्यों पर आधारित थे। जो कानून की इस शाखा में कानूनी स्थिति के अनुसार - यानि ''धोखाधडी वाले दस्तावेज'' की प्रस्तुति जहां माल जानबूझकर नही भेजा गया था और प्रयास किया गया था 'कचरा' को ऑर्डर किए गए सामान के रूप में प्रसारित करना 'धोखाधडी' है।

जैसा कि उपर बताया गया है कि विक्रेता द्वारा माल की गैर-आवाजाही कई तर्कसंगत या अस्थिर कारणों से हो सकती है, विक्रेता

अनुबंध का उल्लंघन कर सकता है लेकिन यह स्वयं वादी को ''धोखाधडी'' शब्द का उपयोग करने की अनुमति नही देता है वादपत्र में और आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत एक आवेदन दायर करके उठाई जा सकने वाली किसी भी आपत्ति को दूर करें। जैसा कि कृष्णा अय्यर जे. ने बताया है। टी. अरिवंदंदम के मामले में, आदेश 7 नियम 11 /ए/ के तहत एक आवेदन पर विचार करते समय अदालत वाद में किसी शब्द को दोहराने या भ्रम पैरा करने की परंपरा को निश्चित रूप से उजागर और उजागर किया जा सकता है। चूंकि माल की आवाजाही के बिना धन की निकासी का आरोप केवल ''धोखाधडी'' के आधार पर यह ध्यान दिया जाएगा कि स्जटेजन एक ऐसा मामला था जहां 'धोखाधडी वाले दस्तावेज' प्रस्तुत किए गए थे जो माल की शिपिंग का अनुकरण करते थे जो न केवल भेजे गए थे बल्कि दूसरी ओर विक्रेता ने जानबूझकर कुछ बकवास भेज दिया था। इसलिए उस मामले में खरीदारों द्वारा दायर की गई शिकायत में आरोप उपरोक्त तथ्यों पर आधारित थे- जो कानून की इस शाखा में कानूनी स्थिति के अनुसार यानी 'धोखाधडी वाले दस्तावेज' की प्रस्तुति जहां माल जानबूझकर नही भेजा गया था और प्रयास किया गया था 'कचरा' को ऑर्डर किए गए सामान के रूप में प्रसारित करना 'धोखाधडी' है।

जैसा कि उपर बताया गया है कि विक्रेता द्वारा माल की गैर-आवाजाही कई तर्कसंगत या अस्थिर कारणों से हो सकती है, विक्रेता

अनुबंध का उल्लंघन कर सकता है लेकिन यह स्वयं वादी को 'धोखाधडी' शब्द का उपयोग करने की अनुमति नही देता है। वादपत्र में और आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत एक आवेदन दायर करके उठाई जा सकने वाली किसी भी आपत्ति को दूर सकें। जैसा कि कृष्णा अययर, जे. ने बताया है। टी. अरविंदंदम के मामले में, आदेश 7 नियम 11 /ए/ के तहत एक आवेदन पर विचार करते समय अदालत द्वारा वाद में किसी शब्द को दोहराने या भ्रम पैदा करने की परंपरा को निश्चित रूप से उजागर और उजागर किया जा सकता है। चूंकि माल की आवाजाही के बिना धन की निकासी का आरोप केवल 'धोखाधडी' के आधार पर कार्यवाही का कारण नही बनता है, बैंक वादी में इस्तेमाल किए गए ''धोखाधडी'' या गलत बयानी शब्दों के तहत आश्रय नहीं ले सकता है।

अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि यह एक ऐसा मामला था जहां क्रेडिट पत्र चालान मूल्य के बिना था।

उपरोक्त कारणों से, हम मानते है कि अपीलकर्ता के खिलाफ वादी आरोपों से भी कार्यवाही का कोई कारण नही है। अपील की अनुमति दी गई और अपीलकर्ता - 5वें प्रतिवादी के खिलाफ आदेश 7 नियम 11 /ए/ के तहत वाद खारिज कर दिया गया। उसी सीमा तक अपील की अनुमति है। लागत के संबंध में आपको कोई आदेश नही दिया जाएगा।

यह अनुवाद आर्टिफिशल इंटेलिजेन्स टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी आंचल अग्रवाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए , निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा |